भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 196

जिसका उत्तर 29.01.2026 को दिया जाना है

महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड राजमार्ग गलियारा

196. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत महाराष्ट्र में नासिक से अक्कलकोट तक ग्रीनफील्ड राजमार्ग गलियारे को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, इसमें कितने जिलों को कवर किया जाएगा और इसके पूरा होने की संभावित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या क्षेत्रीय संपर्क, संभार तंत्र दक्षता पर परियोजना के प्रभाव का कोई आकलन किया गया है, यदि हां, तो नासिक,अहिल्यानगर, सोलापुर और आस-पास के जिलों में औद्योगिक विकास और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) समय पर भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या माल ढुलाई में सुधार लाने और यात्रा के समय को कम करने के लिए अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार के पूर्व-पश्चिम संपर्क गलियारों का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) भारत सरकार ने दिनांक 31.12.2025 को महाराष्ट्र के नासिक से अक्कलकोट तक 374 किलोमीटर की लंबाई के ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। परियोजना नासिक, अहिल्यानगर, बीड, धरशिव और सोलापुर जिले से गुजर रही है। परियोजना के शुरू होने के पश्चात इसकी पूर्णता अवधि 3 वर्ष है।

(ग) जी, हां। मूल्यांकन किया गया है और विवरण निम्नानुसार हैं:

i. क्षेत्रीय सड़क संपर्कता और राष्ट्रीय गलियारों के साथ एकीकरण में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

ii. सूरत से चेन्नई जाने वाले माल ढुलाई और यात्री यातायात के लिए यात्रा समय (14 घंटे) और दूरी (लगभग 201 किलोमीटर की बचत) में भारी कमी आएगी। नाशिक-अक्कलकोट के बीच यात्रा के के समय में लगभग 4 घंटे और लगभग 51 किमी की दूरी की बचत होगी।

iii परियोजना कार्यान्वयन के दौरान बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा।

(घ) भूमि अधिग्रहण (एलए) अग्रिम चरण में है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) के तहत लगभग 90% भूमि के लिए, धारा 3डी के तहत लगभग 80% के लिए और 3जी के तहत लगभग 40% भूमि के लिए अधिसूचना पूरी हो गई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाए।

(ङ) सरकार लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने और पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सिद्धांतों के अनुरूप यात्रा के समय को कम करने के उद्देश्य से एनएच नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए डीपीआर/व्यवहार्यता अध्ययन करती रहती है।
